झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग
संकल्प

विषय : राज्य में पूँजी निवेश को प्रोत्साहित करने हेतु **online** जल आवंटन की प्रक्रिया का सरलीकरण ।

राज्य में पूँजी निवेश के उद्देश्य से विभिन्न औद्योगिक ईकाईयों के द्वारा उद्योग विभाग में प्रस्ताव समर्पित किये जाते हैं, जिस क्रम में ऐसी ईकाईयों को उत्पादन हेतु जल की आवश्यकता होती है ।

जल संसाधन विभाग के द्वारा आवश्यक जल उपलब्ध कराने हेतु online आवेदन समर्पित करने की व्यवस्था स्थापित की गई है, जिस क्रम में आवेदित मात्रा के विरुद्ध राज्य में कर्णांकित जल स्रोत में पर्याप्त जल की उपलब्धता आकलन करने के लिए **जल उपलब्धता संभाव्यता प्रतिवेदन (Water Availability feasibility Report)** की आवश्यकता होती है ।

तैयार किये गए जल उपलब्धता संभाव्यता प्रतिवेदन **(Water Availability feasibility Report)** को आवेदित ईकाईयों के स्तर से अपने आवेदन के साथ upload किये जाने की संप्रति अनिवार्यता है ।

2. विगत् कई वर्षों से जल उपलब्धता संभाव्यता प्रतिवेदन **(Water Availability feasibility Report)** को किसी निजी परामर्शी अथवा अन्य स्रोत से तैयार करवाकर जलावंटन आवेदन के साथ संलग्न किये जाने की बाध्यता औद्योगिक ईकाईयों पर थी । इस प्रक्रिया में समय लगने के साथ–साथ ऐसे बाहरी परामर्शी के द्वारा जल की उपलब्धता का आधार भी शत–प्रतिशत प्रामाणिक नहीं था ।

3. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में राज्य में पूँजी निवेश हेतु इच्छुक किसी औद्योगिक ईकाई के द्वारा जल आवंटन हेतु समर्पित आवेदन पत्र के आलोक में पूँजी निवेश हेतु प्रोत्साहन के उद्देश्य से जल संसाधन विभाग, झारखण्ड के स्तर पर ही प्रसंगाधीन **जल उपलब्धता संभाव्यता प्रतिवेदन (Water Availability Feasibility Report)** तैयार कराये जाने का निर्णय लिया गया है ।

4. जल उपलब्धता संभाव्यता प्रतिवेदन विभागीय मुख्य अभियंता, समग्र योजना, अन्वेषण एवं जल विज्ञान, राँची के निर्देशन में निम्नवत् गठित त्रि–सदस्यीय **जल उपलब्धता आकलन समिति** द्वारा तैयार किया जाएगा :

क्र०सं०	पदनाम		समिति में पदनाम
1	संबंधित प्रभारी अधीक्षण अभियंता (जलस्त्रोत प्रक्षेत्र)	:-	अध्यक्ष
2	संबंधित प्रभारी कार्यपालक अभियंता (जलस्त्रोत प्रक्षेत्र)	:-	सदस्य
3	मुख्य अभियंता, समग्र योजना, अन्वेषण एवं जल विज्ञान, राँची द्वारा कार्यपालक अभियन्ता से अन्यून नामित पदाधिकारी	:-	सदस्य

5. **जल आवंटन हेतु निम्नांकित प्रक्रिया अपनायी जाएगी :**

5.1 जल आवंटन हेतु इच्छुक औद्योगिक ईकाई के द्वारा online आवेदन पत्र समर्पित किया जाएगा, जिसे विभागीय नोडल पदाधिकारी के द्वारा मुख्य अभियन्ता, समग्र योजना, अन्वेषण एवं जल विज्ञान, राँची को आवेदन प्राप्ति के 48 घंटों के भीतर अग्रसारित कर दिया जाएगा ।

5.2 मुख्य अभियन्ता, समग्र योजना, अन्वेषण एवं जल विज्ञान, राँची के द्वारा संबंधित प्रभारी अधीक्षण अभियन्ता को प्रसंगाधीन जल उपलब्धता संभाव्यता प्रतिवेदन तैयार करने हेतु online निदेशित किया जाएगा ।

5.3 संबंधित प्रभारी अधीक्षण अभियन्ता के द्वारा आवेदन प्राप्ति के पन्द्रह दिनों के भीतर कर्णांकित जल स्रोत बिन्दु पर जल उपलब्धता का आकलन कर जल उपलब्धता संभाव्यता प्रतिवेदन तैयार कर अपने संबंधित मुख्य अभियन्ता के माध्यम से मुख्य अभियन्ता, समग्र योजना, अन्वेषण एवं जल विज्ञान, राँची को स्पष्ट अनुशंसा के साथ online समर्पित कर दिया जाएगा ।

5.4 उपर्युक्त क्रम में संबंधित प्रभारी अधीक्षण अभियन्ता के द्वारा अपने स्तर से संबंधित प्रभारी कार्यपालक अभियन्ता एवं आवेदक औद्योगिक इकाई को जाँच हेतु स्थल निरीक्षण का समय एवं अन्य सूचनाओं के संबंध में सूचित कर दिया जाएगा ।

5.5 सूचना मिलने के बावजूद आवेदक औद्योगिक ईकाई के प्राधिकृत प्रतिनिधि के उपस्थित रहने अथवा नहीं रहने की कोई अनिवार्यता नहीं रहेगी ।

5.6 online प्राप्त जल उपलब्धता संभाव्यता प्रतिवेदन को मुख्य अभियन्ता, समग्र योजना, अन्वेषण एवं जल विज्ञान, राँची के द्वारा विभागीय नोडल पदाधिकारी को अपनी अनुशंसा के साथ अग्रसारित दिया जाएगा ।

5.7 मुख्य अभियन्ता, समग्र योजना, अन्वेषण एवं जल विज्ञान, राँची के द्वारा अग्रसारित जल उपलब्धता संभाव्यता प्रतिवेदन के आधार पर जल आवंटन हेतु समर्पित आवेदन पर जल संसाधन विभाग के स्तर पर गठित **जल आवंटन समिति** के द्वारा आवश्यक निर्णय लेते हुए online विभागीय अनुमोदन प्राप्त करने की कार्रवाई की जाएगी ।

5.8 जल उपलब्धता संभाव्यता प्रतिवेदन को मामला विशेष के आधार पर (case to case basis) तैयार किया जाएगा एवं जल संसाधन विभाग को इसकी समय–समय पर समीक्षा करने का पूर्ण अधिकार होगा ।

अभियन्ता प्रमुख–I, जल संसाधन विभाग के उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में विभागीय नोडल पदाधिकारी घोषित किये जाते हैं ।

यह प्रक्रिया इस संकल्प के निर्गत की तिथि से प्रभावी होगी।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

2.8.19

(अरुण कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक :–1/पी०एम०सी०/कार्य/1130/2019–993 **राँची/दिनांक –**02.08.2019

प्रतिलिपिः–माननीय मंत्री के आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, राँची/अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, राँची/अभियंता प्रमुख–I एवं II के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, राँची/विशेश सचिव के निजी सहायक, जल संसाधन विभाग, राँची/संयुक्त सचिव, जल संसाधन विभाग, राँची/सभी उप सचिव, जल संसाधन विभाग, राँची/सभी मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेशित।

2.8.19

(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)
स्रकार के संयुक्त सचिव